बापुलाल v/s केलगवाई
पूर्वना पत्र 18/2022 (2022/30)

24/01/2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षीगण ने जवाब प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रार्थी को दिलायी गयी। जवाब शामिल मिसल किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर बहस पक्ष अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गयी।

2022/30

अधिवक्ता प्रार्थी के पूर्वना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बाल्यावस्था से अपने मामा शंकर पिता नारायणजी के पास रहते हुए अपने मामा शंकर जी की सेवा-चाकरी करता चला आ रहा था। शंकर जी के दो पत्नीयां विपक्षी संख्या 1 व 2 थी, जिनके कोई संतान नहीं होने से प्रार्थी ही अपने मामा एवं मामीयों की सेवा-चाकरी करता हुआ अपने मामा शंकर की सम्पूर्ण कृषि आराजीपात पर काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी के मामा शंकर के वृद्धावस्था होने से अपनी दोनो पत्नीयो की सहमति से प्रार्थी के पक्ष में समस्त पश्चातियों का पंजीयतकर्ता रजिस्ट्रेशन 03/04/2013 को निष्पादित करवाया। प्रार्थी के मामा शंकर जी की रजिस्ट्रेशन 25/6/2014 को मृत्यु हो चुकी है। शंकर जी की दोनो पत्नीयां विपक्षी संख्या 1 व 2 ने राजस्व अधिकारीयों से मिलीभगत कर ग्राम दानी पंचायत सामरी तहसील चित्तौड़गढ़ के खसरा संख्या 160, 161 में वर्णित कृषि आराजीपात में से कुछ हिस्से के निहित होकर हिस्से को विरासत के अपने नाम दर्ज करा लिया है, जबकि प्रार्थी [illegible] पर प्रार्थी काबिज होकर उपरोक्त [illegible] चला आ रहा है। उक्त आराजीपात [illegible] के नाम घोषित कराने बाबत् वाद पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके निर्णय में समय लगना सम्भावित है।

---लगातार

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam S Bishnoi
Date: 2022.01.28 17:59:12 I
Reason: SelfAttested

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विपक्षी सख्या 1 व 2 विवादित कृषि आराजीयात अपने नाम पर दर्ज हो जाने से प्रार्थी को बेदखल कर विवादित आराजीयात का हस्तान्तरण करने पर आमादा है, जिसके विपक्षी सख्या 1,2 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा इस विवादित कृषि आराजीयात हस्तान्तरण नही करने एव न ही किसी अन्य से कराने बाबत् पाबन्द कराने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपने जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा कुटरचित दस्तावेज है, जिसके आधार पर प्रार्थी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विपक्षीगण के नाम विरासत से नामान्तरकरण खुल कर विवादित आराजीयात का खातेदारी हक प्राप्त हुआ, और विपक्षीगण का ही कब्जा काश्त है। प्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नही है, जिससे प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही रहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन/अध्ययन किया एवं अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर गहनता से चिन्तन-मनन किया। विवादित आराजीयात विपक्षीगण को अपने पति की विरासत से प्राप्त हुई है, जिसके मुतिब्बा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे होना साबित नही होता है, तथा खातेदारी हक विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RCA स्वीकार नही पाया जाने से खारीज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सुने सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं गार पत्रावली 6/2022 के साथ संलग्न की जावे।

(अजय सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Su Bishnoi
Date: 2022.01.28 17:59:12 IS
Reason: SelfAttested